हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्याःटीसीपी–ए (3)–1/2016–1 तारीख शिमला–2, 25 अप्रैल, 2018.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी.सी.पी.ए (3)–1/2014–1 तारीख 1 दिसम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचित और तारीख 1 दिसम्बर, 2014 को राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने का प्रस्ताव करते है और इन्हे जनसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

यदि इन प्रारूप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति को इन प्रारूप नि. . की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव हैं तो वह उसे/उन्हें उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (पों)/सुझाव (वों), यदि कोई हो, पर राज्य सरकार द्वारा इन प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा अर्थात्;

संक्षिप्त नाम ।

1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (तृतीय संशोधन) नियम, 2018 है।

नियम 16 का प्रतिस्थापन

2. हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

" (1) अधिनियम की धारा 15–क की उपधारा (2)धारा 16 के खण्ड (क) या धारा 30 की उपधारा (1) या धारा 30–क के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक या धारा 78 त के अधीन किसी भूमि के विकास को कार्यान्वित करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसे विकास हेतु आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न विनिर्देश और क्षेत्र की अनुसूची के साथ प्ररूप–11 में भूमि के उप–खण्ड (सब डिविजन) हेतु और प्ररूप 12 में भवन के सन्निर्माण हेतु या तो व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाईन आवेदन कर सकेगा:–

...2...

(2) अधिनियम की धारा 15 क की उपधारा (2) या धारा 16 के खण्ड (क) या धारा 30 की उपधारा (1) या धारा 30 क (धारा 30 क के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक) या धारा 78 त के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन के साथ निम्न यथाविनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी:–

क्र0स0	संघटक	निर्मित क्षेत्र के प्रति वर्ग–मीटर की इकाई	नगरपालिका सीमाओं में		नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं से बाहर अर्थात ग्रामीण क्षेत्र	
			आवासीय उपयोग ₹	आवासीय उपयोग से भिन्न ₹	आवासीय उपयोग ₹	आवासीय उपयोग से भिन्न ₹
1.	भवन निर्माण योजना की अनुज्ञा / मंजूरी / संशोधन के लिए फीस	वर्गमीटर	8.00	10.00	5.00	8.00
2.	परिवर्धन / परिवर्तन / पुनर्विधिमान्यता के लिए फीस	वर्गमीटर	8.00	10.00	5.00	8.00
3.	भूमि के उप–खण्ड (सब डिविजन) के अनुमोदन के लिए फीस	वर्गमीटर	2.50		1.00	
4.	अन्तरिम विकास योजना / विकास योजना में यथा विहित उपयोग से प्रस्तावित भूमि उपयोग में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए फीस	वर्गमीटर	16.00	20.00	10.00	16.00

टिप्पण:–(i) शहरी स्थानीय निकायों और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को उपरोक्त संघटकों के अधीन संशोधित एकात्मक फीस उपग्रहण करने की स्वतंत्रता होगी।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) के परिवारों, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो और समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित सामाजिक आवास स्कीमों के 100 वर्गमीटर तक के प्लॉट क्षेत्र के आवेदकों से कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी। यह प्रसुविधा किसी परिवार द्वारा केवल एक बार ही प्राप्त की जा सकेगी। तथापित, यदि प्लॉट क्षेत्र 100 वर्गमीटर से अधिक का है तो अतिरिक्त क्षेत्र पर फीस प्रभारित की जाएगी।

आदेश द्वारा,

(तरूण कपूर)
अति0 मुख्य सचिव (टी0सी0पी0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः टीसीपी–ए(3)–1/2016–1 तारीख शिमला–2, 25 अप्रैल, 2018.
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. सयुंक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
4. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला
5. निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि0प्र0 शिमला–2
6. आयुक्त, नगर निगम, शिमला।
7. आयुक्त, नगर निगम, धर्मशाला।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बद्दी बरोटीवाला विकास प्राधिकरण, बद्दी, जिला सोलन।
9. नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, धर्मशाला, नाहन, सोलन, शिमला, हमीरपुर, कुल्लू एवं मण्डी।
10. सहायक नगर योजनाकार, उप–मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, परवाणु, रामपुर, ऊना चम्बा एवं बिलासपुर
11. योजना अधिकारी, नगर योजना कार्यालय, पालमपुर, मनाली, सुन्दरनगर, नादौन एवं रोहडू ।
12. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, चम्बा, कुल्लू, रामपुर, सोलन, परमाणू, नालागढ़, नाहन, पॉवटा साहिब, हमीरपुर, उना, मण्डी, बिलासपुर, पालमपुर, ठियोग, रोहडू, घुमारवीं, सुन्दरनगर, बद्दी एवं सुजानपुर ।
13. सचिव, नगर पंचायत, नारकण्डा, चौपाल, मैहतपुर, गगरेट, नादौन, भोटा, जोगिन्द्रनगर, तलाई, भुन्तर, बैजनाथ एवं नेरचौक ।
14. संरक्षण नस्ति।

25/4/18

(रिखी राम)
सयुंक्त सचिव (टी0सी0पी0)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. TCP-A(3)-1/2016-I DATED 25th April, 2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. TCP- A(3)-1/2016-1 **Dated Shimla-2,** **25th April, 2018**

In exercise of the powers conferred by section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules to amend Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014, notified vide this Department Notification No. TCP-A (3)-1/2014-I dated 1st December, 2014 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 1st December, 2014, and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of the General Public;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) against these draft rules, he may send the same to the Additional Chief Secretary (TCP) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla, within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objections or suggestions, if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing these draft rules, namely:-

rt title. 1. These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country planning (Third Amendment) Rules, 2018.

titution le 16 2. For rule 16 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 (hereinafter referred to as the 'said rules'), the following rule shall be substituted, namely:-

"(1) Any person, intending to carry out development of any land under sub-section (2) of section 15-A or clause (a) of section 16 or sub-section (1) of section 30 or section 30-A (beyond the limits as specified under section 30-A) or section 78p of the Act may apply for such development in Form-11 for sub-division of land and Form-12 for construction of building alongwith the Specification and Schedule of area attached with the application form either personally or online.

...2...

(2) Every application submitted under sub-section (2) of section 15-A or clause (a) of section 16 or sub-section (1) of section 30 or section 30-A (beyond the limits as specified under section 30-A) or section 78 p of the Act shall be accompanied by fee as specified below:-

Sr. No.	Component	Unit Per Square Metre of built up area	Municipal Limits		Outside Municipal Limits i.e. Rural Area	
			Residential Use ₹	Other than Residential Use ₹	Residential Use ₹	Other than Residential Use ₹
1	Fee for building permission / sanction /revision of building plan	M^2	8.00	10.00	5.00	8.00
2	Fee for addition/ alteration/re-validation	M^2	8.00	10.00	5.00	8.00
3	Fee for approval of Sub-division of land	M^2	2.50		1.00	
4	Fee for Change of Land Use from the use as prescribed in the Interim Development Plan/ Development Plan to propose land use	M^2	16.00	20.00	10.00	16.00

Note:-

(i) The Urban Local Bodies and Special Area Development Authorities shall have the liberty to levy amended unitary fee under above components.

(ii) No fee shall be charged from the Below Poverty Line (BPL) families, Economically Weaker Sections (EWS) of the society and from the applicants of Social Housing Schemes notified by the Government from time to time upto 100 M^2 plot area. This benefit may be availed by a family only once. However, if the plot area is above 100M^2, the fee shall be charged on the additional area.

By Order

(Tarun Kapoor)
Additional Chief Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla.

...3...

Endst. No. TCP- A(3)-1/2016-I **Dated, Shimla-2,** **25th April, 2018.**

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The DLR-cum-Joint Secretary (Law) to the Government of HP, Shimla.
2. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
3. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
4. The Director, Town and Country Planning Department, H.P.Shimla-9.
5. The Director, Urban Development Department, H.P. Shimla-2.
6. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla-1.
7. The Commissioner, Municipal Corporation, Dharamshala, Distt. Kangra.
8. The Chief Executive Officer, BBNDA, Distt. Solan, H.P.
9. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Dharamshala, Nahan, Solan, Shimla, Hamirpur, Kullu and Mandi.
10. The Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Parwanoo, Rampur, Una, Chamba and Bilaspur.
11. The Planning Officer, Town and Country Planning Office, Nadaun, Sundernagar, Manali, Palampur and Rohru.
12. The Executive Officer, Municipal Councils Bilaspur, Naina Devi Ji, Ghumarwin, Chamba, Dalhousie, Hamirpur, Sujanpur, Kangra, Palampur, Nurpur, Nagrota, Dehra, Jwalamukhi, Kullu, Manali, Mandi, Nerchowk, Sundernagar, Jogindernagar, Rohroo, Rampur, Theog, Nahan, Paonta, Solan, Nalagarh, Parwanoo, Baddi, Una, Santokhgarh, Mehatpur.
13. The Secretary Nagar Panchayats Talai, Chowari, Nadaun, Bhotta, Baijnath-Paprola, Jawali, Bhunter, Banjar, Sarkaghat, Rewalsar, Karsog, Narkanda, Chopal, Kotkhai, Jubbal, Sunni, Rajgarh, Arki, Dalautpur, Gagret, Tahliwal.
14. Guard file.

Rikhi Ram 25/4/18

(Rikhi Ram)
Joint Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh.